फौज.प्र.क. : 1206 / 2014

## न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 1206 / 2014</u> संस्थित दि: 11 / 12 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,		
अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)		अभियोगी
क्र विरुद्ध		
तीरथ साहू पिता अमरलाल साहू, उम्र 31 साल, जाति ते	ली,	
निवासी साहूटोला कनिया, थाना बिरसा, जिला बालाघाट	(म.प्र.)	
A STATE OF THE STA		. आरोपी

## –<u>:: निर्णय ::</u>–

## (आज दिनांक 13/12/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 01/12/2014 को समय 08::50 बजे स्थान किनया थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में सात लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी सालेटेकरी में कार्यरत् उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार कुमरे दिनांक 01.12.2014 को हमराह स्टाप के साथ ग्राम गस्ती के लिये रवाना हुआ था तो उसे गस्ती के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किनया की ओर से एक व्यक्ति आम रास्ते में हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में सात लीटर

कच्ची महुआ शराब पायी गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 164/14 अन्तर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:--
  - (अ) क्या आरोपी दिनांक 01/12/2014 को समय 08::50 बजे स्थान किनया थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में सात लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये ?

## —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी

फौज.प्र.क. : 1206 / 2014

को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 600 / –(छः सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ई) (डी.एस.मण्डलोई) १थम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, १घाट बैहर, जिला बालाघाट